भा.वा.अ.शि.प.-वर्षा वन अनुसंधान संस्थान
ICFRE-RAIN FOREST RESEARCH INSTITUTE
भारतीयवानिकीअनुसंधानएवंशिक्षापरिषद
Indian Council of Forestry Research and Education
पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ,भारत सरकार
(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)
देववन,सोताइ, जोरहाट-785010 (असम)/ *Deovan, Sotai, Jorhat-785010 (Assam)*
दूरभाष/*Phone: 0376-2305101/105* ई मैल/*E-Mail ID: dir_rfri@icfre.org*

सत्यमेव जयते

संख्या/No.: 3/334/2024-Estt./ **दिनांक/Dated as per eSign**

आदेश/ORDER

भा.वा.अ.शि.प.–वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट, भा.वा.अ.शि.प.–बांस एवं बेंत केंद्र, आइजोल तथा भा.वा.अ.शि.प.–आजीविका विस्तार केंद्र, अगरतला के सभी कर्मचारियों को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे अर्जित अवकाश (EL) और/या अर्ध वेतन अवकाश (HPL) का उपभोग करने के पश्चात् ड्यूटी पर पुनः कार्यभार ग्रहण करते ही ई-एचआरएमएस (e-HRMS) में अपना कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन (Joining Report) तत्काल प्रस्तुत करें।

All employees of ICFRE–Rain Forest Research Institute, Jorhat, ICFRE–Bamboo & Rattan Centre, Aizawl, and ICFRE–Livelihood Extension Centre, Agartala, are hereby directed to submit their **Joining Report in e-HRMS immediately upon resuming duty after availing Earned Leave (EL) and/or Half Pay Leave (HPL).**

यह भी निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन **वास्तविक रूप से ड्यूटी पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि** को ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो ऐसे मामले को, **ई-एचआरएमएस पोर्टल में वास्तविक तकनीकी समस्या के कारण प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति को छोड़कर**, संबंधित अवकाश को कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि तक बढ़ा हुआ माना जाएगा, जो लागू नियमों के अधीन होगा।

It is further directed that the Joining Report shall be submitted on the **actual date of resumption of duty**. In case any employee fails to submit the Joining Report on the date of resumption of duty, **except in cases where submission is prevented due to a genuine technical issue in the e-HRMS portal**, the concerned leave shall be treated as extended up to the date on which the Joining Report is submitted, subject to the applicable rules.

सभी कर्मचारियों को उपर्युक्त निर्देशों का **कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने** की सलाह दी जाती है/ All employees are advised to ensure **strict compliance with the above instructions**.

Digitally signed by
Nitin Kulkarni
Date: 04-08-2026
14:51:51

निदेशक /DIRECTOR
भा.वा.अ.श.प.-वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट/ICFRE-Rain Forest Research Institute, Jorhat

प्रतिलिपि/Copy to:

1. भा.वा.अ.शि.प.–व.व.अ.सं., जोरहाट, भा.वा.अ.शि.प.–बां.बें.कें., आइजोल तथा भा.वा.अ.शि.प.–आ.वि.कें., अगरतला के सभी कर्मचारियों को सूचनार्थ/ All employees of ICFRE–RFRI, Jorhat, ICFRE–BRC, Aizawl, and ICFRE–LEC, Agartala for information.
2. सूचना प्रौद्योगिकी सेल, भा.वा.अ.शि.प.-व.व.अ.सं., जोरहाट को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर आवश्यक अपलोड हेतु/ IT Cell, ICFRE-RFRI, Jorhat, for information and necessary uploading on the website.
3. कार्यालय आदेश फ़ाइल/गार्ड फ़ाइल/ Office order file/Guard file.